Research Journal of Language, Literature and Humanities E-ISSN 2348-6252
Vol. **6(2),** 1-11, May **(2019)** *Res. J. Lang. Lit. Humanities*

विवादों के निपटारे एवं सस्ता व शीघ्र न्याय प्रदान करने की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लोक अदालत की प्रासंगिकता – एक अध्ययन (धमतरी जिले, (भारत) के विशेष संदर्भ में)

पंकज जैन
बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविधालय धमतरी (छ.ग.), भारत
pankaj01051978@gmail.com

Available online at: www.isca.in, www.isca.me
Received 17th October 2018, revised 10th March 2019, accepted 25th April 2019

शोध सार

न्यायालयों के पास मुकद्रमों की बढती हुई संख्या एवं न्यायालयों की जटिल एवं खर्चीली प्रक्रिया के विकल्प के रूप में विवादों के निपटाने की सस्ती एवं शीध्र न्याय प्रदान करने की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लोक अदालत का महत्व वर्तमान परिपेक्ष्य में निरन्तर बढता जा रहा है एवं विवाद के पक्षकार इनके प्रति बहुत आकर्षित हो रहे है साथ ही पूरे देश में एक ही दिन प्रत्येक जिले में समय-समय पर आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों को भूमिका भी विवादों को शीध्र निपटाने की दिशा में निरंतर बढती जा रही है। लोक अदालत के निर्णय विवादों के दोनों पक्षकार पर बंधनकारी होते है इनमें आपसी समझौते के आधार पर सौहार्दपूर्ण तरीके से विवादों का निराकरण कर दिया जाता है। राजस्व, श्रम, विघुत, मोटर व्हीकल, क्षतिपूर्ति जैसे मामले बहुत ही आसानी से आपसी समझौते से निपटा दिये जाते है। कुछ आलोचनाओं के बावजूद इनकी उपयोगिता से इंकार नहीं किया जा सकता। विधिक सेवा प्राधिकारण द्वारा इन्हें विधिक स्वरूप प्रदान करने के बाद इनका महत्व दिन प्रतिदिन बढता चला जा रहा है आवश्यकता केवल इस बात की है कि उन कमियों को दूर कर लिया जाए जो इनकी लोकप्रियता एवं उपयोगिता में बाधक है साथ ही इनका अधिक से अधिक विभिन्न माध्यम से प्रचार प्रसार कर आम जनता का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाए।

शब्द कुंजियां: विवाद, न्याय, अदालत

प्रस्तावना

एक पुरानी कहावत है कि **''विलम्ब से मिला न्याय नही के बराबर होता है** दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विलम्ब न्याय को विफल कर देता है। यह कथन सही भी है क्योकि न्याय वही है जो समय पर मिले। विलम्ब से न्याय मिलने से न्याय की सार्थकता एवं प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। परन्तु आज स्थिती यह है कि हमारे देश में न्यायालयों के पास मुकदमो की संख्या कम होने के बजाय निरन्तर बढती जा रही है न्यायालय की प्रक्रिया भी काफी लंबी एवं कठिन होने के कारण मामलो के निराकरण मे बहुत विलम्ब होना स्वाभाविक है अत त्वरित न्याय के साधन तलाशे जाने लगे एवं यह प्रयास किया जाने लगा कि न्याय सस्ता, सुलभ एवं त्वरित हो। लोक अदालत की अवधारणा इसी की उपज है। न्यायलय की लंबी एवं खर्चीली प्रक्रिया के कारण ही न्याय हेतु त्वरित निर्णय प्रणाली को बहुत महत्व दिया जाने लगा जिसका नाम लोक अदालत है। लोक अदालत सस्ते, सुलभ एवं त्वरित न्याय का एक सशक्त मंच है। वर्तमान समय मे लोकअदालत ने एक स्वतंत्र एवं निश्चित स्वरूप प्राप्त कर लिया है। विधि के क्षेत्र में लोकअदालत अत्यंत महत्वपुर्ण संस्था बन गई है। यह एक निश्चित तिथि पर लगती है जिसका विवाद के दोनों पक्षकारो को मानना होता हैं लोगो को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने के उदेद्श्य से लोक अदालत का आयोजन तहसील,जिला स्तर एवं उच्च न्यायालय मे किया जाता है।

लोक अदालत का पहले से प्रचार प्रसार किया जाता है पक्षकार अपनी सहमति से इसके सामने प्रस्तुत होते है। लोक अदालत की परंपरा में जनपद के न्यायाधीशो की अत्यन्त सराहनीय भूमिका होती है। छोटे-छोटे विवाद जो लम्बे समय से लम्बित है उन्हे व्यवहारिक दृष्टि से

पहले ही चुन लिया जाता है एवं फिर लोक अदालत के माध्यम से उनका निपटारा कर दिया जाता है । लोक अदालत वास्तव में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अधिवक्तागण एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति उक्त अदालत में उपस्थित होकर प्रक्रिया पूरी करते है जिसमें अविलम्ब निर्णय दे दिया जाता है जो पक्षकारों पर बंधनकारी होता है इनमें आपसी समझाईस एवं सुलह के आधार पर सौहार्दपूर्वक वार्ता कर प्रकरणों का निराकरण किया जाता हैा लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, समझौता योग्य, राजस्व, श्रम तथा अन्य न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है। वर्तमान समय में लोक अदालत ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। विभिन्न न्यायालयों में लंबे समय से लंबित वाद जिनमें किसी गंभीर अनुतोष की मांग नहीं होती, छोटे चालान के मुकदमें, क्षतिपूर्ति के मुकदमें, मोटर, व्हीकल एक्ट, रेण्ट कण्टोल एक्ट, अतिचार, यातायात नियमों के उल्लंघन, अति लघु क्षतिपूर्ति के मुकदमे,मोटर एक्सीडेन्ट के मुकदमे सामान्यता लोक अदालत के माध्यम से ही समाप्त हो जाते है। जिससे पक्षकार कानून की लंबी प्रक्रिया से बच जाते है न्यायालय में पक्षकारों द्वारा साक्ष्य पेश करना, प्लाडिंग, स्थगन आदेशों से मुक्ति पाना लोक अदालत द्वारा ही संभव हैा पारिवारिक विवाद, पति पत्नी के विवाद, भरण पोषण के विवाद जिन्हें पक्षकार न्यायालय द्वारा दीर्घकाल तक निपटवाने में सक्षम नहीं होते है ऐसे विवाद अति शीघ्र लोक अदालत द्वारा हल हो जाते है। पति-पत्नी के तलाक के मुकदमें, व्यावाहिक अधिकारों के पुनर्स्थापना के वाद, संरक्षित के विवाद, अतिशीघ्र लोक अदालत द्वारा सामाप्त हो जाते है। यधपि आलोचकों के अनुसार यह भी बात सामने आई है कि लोक अदालत के द्वारा मुकदमों का जल्द बाजी में निपटारा कर दिया जाता है भले ही पक्षकारों को न्याय मिले या न मिले। यह भी कहा जाता है कि लोक अदालत में अपराध प्रक्रिया संहिता एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता को विशेष महत्व नहीं दिया जाता एवं अपील, निर्देशन तथा पुनविलोकन से संबंधित विधि का कोई विशेष योगदान नहीं होता इसी कारण लोक अदालत पध्दति को राज्य वादकारियों की विवशता का परिणाम भी कहा जाता है। लोक अदालत पध्दति को विवादों को समाप्त करने की प्रक्रिया मात्र कहा जाता है। शीघ्र निपटारा होने से पक्षकारों द्वारा पूर्ण रूपेण विवाद का अपना-अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिल पाता है अतः यह भी माना जाने लगा है कि लोक अदालत का उददेश्य संबंधित पक्षकारों को न्याय दिलवाना नहीं वरन बढते विवादों के भार को कम करना है। उपर्युक्त आलोचना के बावजूद लोक अदालत के महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता वर्तमान में न्यायालयों पर मुकदमों के दबाव को कम करने हेतु लोक अदालत के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लोक अदालत के माध्यम से ही पक्षकार न्यायालय में होने वाली व्यर्थ की बहस से बच जाते है। वर्तमान में न्यायालयों के पास अत्यधिक केस लंबित पडे है एवं इनकी संख्या निरन्तर बढती जा रही है अतएव लोक अदालत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता साथ ही नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से भी देश भर में मुकदमें की संख्या में कमी लाने एवं पक्षकारों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्रदान करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सामाजिक सुगमता की दृष्टि से भी लोक अदालत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है । राज्य एवं नागरिकों के महत्व बढते हुए विवाद में राज्य के धन का अपव्यय एवं समय की बर्बादी के भी विकल्प के रूप में लोक अदालत का महत्व निरंतर बढता जा रहा है। यधपि हत्या, डकैती जैसे गंभीर अपराध लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते किन्तु फिर भी सस्ता एवं सुलभ न्याय की दृष्टि से लोक अदालत का महत्व निरंतर बढता जा रहा है। वर्तमान में लोक अदालत समाज की मांग है परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि सामान्य नागरिक का विश्वास इन पर बना रहे पक्षकारों, न्यायाधिशों, समाजसेवी संस्थाओ, अधिवक्ताओं, अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ-साथ आम जनता का भी पूर्ण सहयोग एवं विश्वास पर ही लोक अदालत की सफलता निर्भर करती है।

निम्नलिखित उददेश्यों से मैने उक्त विषय पर अध्ययन कार्य किया: i. न्यायालय की लंबी प्रक्रिया के कारण लोगों को लोक अदालत की कम खर्चीली एवं त्वरित निर्णय प्रक्रिया की जानकारी से अवगत कराना। ii. लोक अदालत के प्रति लोगों में विश्वास की भावना उत्पन्न कराना। iii. लोक अदालत द्वारा दिये गये निर्णय के प्रति पक्षकारों में विश्वास उत्पन्न करना। iv. प्रचार-प्रसार माध्यमों से लोक अदालत की सस्ती एवं शीघ्र निर्णय की प्रक्रिया से प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना। v. लोक अदालत द्वारा निर्णीत किये जाने प्रकरणों के विषय में आम जनता को जागरूक करना। vi. लोक अदालत की प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, शिक्षक, समाजसेवी एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। vii. लोक अदालत व्यवस्था को प्राप्त विधिक मान्यता के प्रति जनता को जागरूक करना।

निम्न परिकल्पनाओं के कारण मैने उक्त विषय पर अध्ययन कियाः i. न्यायालय में विवादों के निपटारा करने की अत्यधिक लंबी, जटिल एवं खर्चीली पध्दति। ii. न्यायालय की लंबी प्रक्रिया के प्रति लोगों में उत्साह का आभाव। iii. छोटे-छोटे विवादों के प्रति लोक अदालत की भूमिका। iv. लोक अदालत की त्वरित निर्णय प्रक्रिया, कार्यशैली, तिथि

एवं आयोजन संबंधी उपकल्पनाएं। v. वर्तमान समय मे लोक अदालत का बढता हुआ प्रचलन। vi. समय एवं धन की दृष्टि से लोक अदालत का महत्व।

शोध प्रविधि

उक्त अध्ययन हेतु मैने उक्त विषय पर किये गये पूर्व के शोधो का अध्ययन कर कुछ नई जानकारिया एवं सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

उक्त अध्ययन मे मेरे द्वारा द्वितीयक स्रोतो एवं आंकडों का प्रयोग किया गया है द्वितीयक स्रोतो में मैने पुस्तको, विधि पत्र-पत्रिकाओं, जर्नल्स, समाचार पत्रों एवं इंटरनेट आदि का प्रयोग किया है।

लोक अदालत का अर्थः लोक अदालत ''लोगो को शीघ्र एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने का एक सशक्त माध्यम एवं विवादो को आपसी समझौते के माध्यम से सुलझाने हेतु एक वैकल्पिक मंच है।'' न्यायालयो में विचाराधीन प्रकरणों या मुकदमें बाजी से सबंधित पूर्व के विवादो का आपसी सूझ-बूझ के आधार पर निपटारा किये जाने हेतु एवं लोगो को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने के उद्रदेश्य से पूरे देश में लोक अदालतो का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपसी समझाईश एवं सलाह के आधार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणो का निराकरण किया जाता है।

लोक अदालत का गठन एवं स्वरूपः मामलो के त्वरित निस्तारण हेतु विगत कुछ वर्षो से लोक अदालतो का प्रचलन बहुत बड गया है। यह व्यवस्था अत्यंत सुलभ एवं कम खर्चीली होने के बावजुद इन्हे कानूनी स्वरूप नही मिल पाने के कारण समय-समय पर इनके प्रति जनसाधारण में कई आशंकाऐं उत्पन्न होती रही यही कारण है कि लोक अदालतो के विधिक स्वरूप प्रदान करने के उद्रदेश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (यथा संशोधित 1994) में इन्हे स्थान दिया गया अधिनियम के अध्याय 6 की धारा 19 से 22 तक मे निम्नलिखित प्रावधान किये गये है।

विधिक सेवा प्राधिकरण में अधिनियम में लोक अदालतो की स्थापना, शक्तियों व इनके कार्यो के विषय में प्रावधान दिया गया है। प्राधिकरण की प्रस्तावना से यह स्पष्ट है कि इनका अधिनियमन का मुख्य उद्रदेश्य कमजोर वर्ग को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने हेतु प्राधिकरण को योगदान देना एवं प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्रदान का अवसर देना है।

राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नियमावली के नियम 13 के अनुसार कोई भी व्यक्त्ि तब तक लोकअदालत मे शामिल किये जाने के अर्ह नही माना जाएगा जब तक वहः i. विधिक व्यवसाय का सदस्य न हो, अथवा ii. ऐसी ख्याति का व्यक्ति न हो जो विधिक सेवा स्कीमो एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में रूचि रखता हो। iii. कोई ऐसा प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता न हो जो अनुसुचित जाति, जनजाति, महिलाओ, बच्चो, ग्रामीण एवं शहरी श्रमिको सहित जनता के कमजोर वर्गो के उत्थान मे लगा हो।

फिर भी धारा 19 के अनुसार लोक अदालत हेतु ऐसे अन्य व्यक्तियो के अनुभव एवं अर्हताए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गयी हो एवं वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के परामर्श से निर्धारित की जायेगी।

मोनी मथायी बनाम फेडरल बैंक लि.[1]. उक्त वाद में केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोक अदालत को धारा 19(5) के उपबंधो के अनुसार उन्ही मामलो को विनिश्चय की अधिकारिता होगी जो उनके समक्ष लम्बित हो अथवा जो उनके अधिकारिता मे आता हो परंतु लोक अदालत को किसी विधि के अधीन अशमनीय (Non-compoundable) अपराध से संबंधित वाद के सबंध मे अधिकारिता नही होगी।

धारा 19-उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर ऐसे स्थान पर लोक अदालत का आयोजन किया जा सकेगा, जहां वह ऐसा करना उचित समझे इनमें सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी एवं उतनी संख्या मे ऐसे अन्य व्यक्ति होगे जो समय –समय पर सबंधित समिति अथवा प्राधिकरण द्वारा विर्निदिष्ट दिया जाये एवं उनकी अर्हताये एवं शर्तें भी समिति अथवा प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। लोक अदालतो में विधि, न्याय, कला, साहित्य समाज सेवा,सहकारिता आदि क्षेत्रों में भी विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले अन्य व्याक्तियों को भी स्थान दिया जाता है अधिवक्तागण भी इनमें अपनी भागीदारी निभाते है लोक अदालतो मे राजीनामा एवं समझौते के द्वारा मामलो को सुलझाया जाता है लेकिन ऐसे आपराधिक मामलो का निपटारा नही किया जाता जो किसी विधि के अधीन राजीनामा योग्य नही है।

लोक अदालत की प्रक्रिया – धारा 20 के अनुसार जहां कोई पक्षकार चाहे कि वह उसके मामले का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से हो, ऐसा पक्षकार उस न्यायालय में इस आशय का आवेदन कर सकेगा कि उसका मामला लोक अदालत मे भेजा जाए।

यह अपेक्षा की गई है कि मामलो का निस्तारण करते समय लोक अदालत के सदस्य, न्याय, समता एवं शुध्द अन्त करण से कार्य करे तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्वदांतो का पालन करे यदि इस प्रकार के प्रयास के बाद भी पक्षकारो के बीच राजीनामा अथवा समझौता न हो पाये तो वह मामला पुनः उसी न्यायालय को प्रेषित कर दिया जाता है जहां से वह प्राप्त हुआ था वह न्यायालय उस मामले को पुनः उसी स्तर से अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसर होगा जिस स्तर से वह मामला लोक अदालत में भेजा गया था यदि ऐसे मामले में पक्षकारो के बीच राजीनामा हो जाता है तो अधिनियम की धारा 21 क के अंतर्गत लोकअदालत का आदेश सिविल न्यायालय की डिग्री अथवा अन्य सक्षम न्यायालय के आदेश का प्रभाव रखेगा एवं सभी पक्षकार उससे आवब्द्व होंगे।

पंजाब नेशनल बैंक बनाम लक्ष्मीचन्द् राय[2] इस वाद में म. प्र. उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के प्रावधानो के अंतर्गत लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री धारा 21 के अंतर्गत अंतिम होगी एवं उसके विरूद्ध कोई अपील नही की जा सकती।

वसम्मा बनाम तालका लीगल नही सर्विसज कमेटी[3] न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारो को सुलह में सहायता देना हैा समझौता स्वेच्छापूर्वक एवं पक्षकारो की स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए।

शक्तियां: अधिनियम की धारा 20 एवं 21 के प्रयोजनार्थ लोकअदालतो को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक सिविल न्यायालय माना गया है एवं इन्हे सिविल न्यायलय की निम्लिखित शक्तिया की गई है। i. साक्षियों को समन करने एवं उनका उनकी शपथ पर परीक्षण करना। ii. दस्तावेजो का प्रकटीकरण एवं प्रस्तुतीकरण। iii. शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने। iv. लोक अभिलेख मंगवाये जाने की शक्तियां।

लोक अदालतों की कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 193, धारा 219 एवं 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही माना गया है एवं लोक अदालत को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 एवं अध्याय 26 के अंतर्गत ''सिविल न्यायालय का दर्जा दिया गया हैा एवं अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत लोक अदालत को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैा इस प्रकार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम द्वारा लोक अदालतो को विधिक जामा पहनाया गया है इससे लोक अदालत पहले की तुलना में अब अधिक सशक्त हो गई हैं।

लोक अदालतो मे आने वाले प्रकरणो को श्रेणियां: लोक अदालतो में दो श्रेणियों के विवादो को निराकरण हेतु लाया जाता है पहला वो जो न्यायालय मे लम्बित है एवं दूसरे वो विवाद जो न्यायालय की देहलीज पर नहीं पहुच पाये है जिन्हे ''प्रीलिटिगेशन विवाद'' की संज्ञा दी गई है। लोक अदालतो मे सिविल, दाण्डिक, राजस्व मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, श्रम न्यायालयों तथा अन्य न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक संख्याओ ,फोरम आदि में लंबित विवादो का निपटारा होता है लेकिन उन आपराधिक मामलो का विचारण नही होता जो किसी विधि के अधीन राजीनामा योग्य नही है।

स्टेट ऑफ पंजाब बनाम फूलन रानी[4]- न्यायालय ने निर्णय दिया कि लोक अदालत मामले का निपटारा सुलह अथवा समझौते के आधार पर ही कर सकता है।

बार कौंसिल ऑफ इण्डिया बनाम यूनियन आफ इंडिया[5]**:** उक्तवाद में उच्चतम न्यायलय ने कहा कि स्थायी लोकअदालत की कार्यप्रणाली उद्देश्यपरक, ऋजु, प्राकृतिक न्याय के सिध्दांतों के अनुरूप हो एवं पक्षकरो को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए।

बार कौंसिल ऑफ इण्डिया बनाम यूनियन आफ इंडिया[6] इसमें यह भी कहा गया कि स्थायी लोक अदालत (प्रंचाट) के निर्णय के विरूध्द अपील नही होने का प्रावधान संवैधानिक है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 19 के तहत पक्षकारो को अपने मामलो के निस्तारण हेतु लो अदालत के समक्ष आवेदन करने, आवेदन के साथ विपक्षी को सूचित करने एवं न्याय, साम्य, शुध्द अतःकरण के आधार पर नैसर्गिक न्याय का पालन करते हुए मामलो के निस्तारण का वर्णन करता है। धारा 20 के अंतर्गत दोनो पक्षो में समझौता कराने का पूर्ण प्रयास करने एवं प्रयासो के बावजूद राजीनामा न होने पर मामला पुन- उसी न्यायालय मे भेजने जहां से वह आया था, का वर्णन करता है। धारा 21 कहती है कि लोक अदालत का आदेश सिविल न्यायालय की डिग्री अथवा सक्षम न्यायालय के आदेश का प्रभाव रखेगा एवं दोनो पक्षकार पर बंधनकारी होगा। धारा 22 में लोक अदालता को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई है इस

प्रकार विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत को विधिक स्वरूप प्रदान किया गया है। जिसके कारण पूर्व की तुलना मे इनका महत्व बहुत बढ गया है। छ.ग. राज्य में स्थायी जनोपयोगी सेवा-भारत के अन्य राज्यो की तरह छ.ग. राज्य के अंतर्गत आम नागरिकों हेतु स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग ,जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में स्थापित की गई इनका जिलेवार क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है।

तालिका-1: लोक अदालत जिलेवार।

जिले का नाम	अन्य सम्मलित जिले
रायपुर	रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद एवं धमतरी सिविल जिले।
बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ सिविल जिले।
दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा एवं कबीरधाम सिविल जिले।
जगदलपुर	बस्तर (जगदलपुर), उत्तर बस्तर (कांकेर), कोण्डागांव एवं दक्षिण बस्तर (दंतेवाडा) सिविल जिले।
अम्बिकापुर	सरगुजा (अम्बिकापुर), कोरिया ,जशपुर ,एवं सुरजपुर सिविल जिले।

छ.ग. राज्य के अंतर्गत उपरोक्त प्रत्येक जनोपयोगीय लोक अदालत में एक न्यायिक अधिकारी (उच्चतर न्यायिक सेवा से) अध्यक्ष के रूप में एवं दो सदस्य नियुक्त् किये गए है। उक्त जनोपयोगीय स्थायी लोक अदालत के समक्ष बिना किसी शुल्क या फीस अदा किये कोई भी नागरिक निम्न सेवाओ से सबंधित अव्यवस्था, असुविधा, अनियमिता, असावधानी या सेवा मे कमी को दूर कर उसे व्यवस्थित एवं ठीक कराने के साथ(साथ पीडित पक्षकार आवश्यक एवं उचित क्षति पूर्ति भी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित कर सकता है।

जनोपयोगीय सेवा के विषयः देश के अन्य राज्यो की तरह छत्तीसगढ में भी जनोपयोगीय स्थायी लोक अदालत में निम्न लोक उपयोगी सेवा के विषयो पर आवेदन किया जा सकता है। i. परिवहन सेवा जिसमें यात्री वाहन, सामाग्री ढोने वाले वाहन, के साथ वायु सेवा एवं जलयान सेवा भी शामिल है। ii. डाक तार या दूरभाष की सेवा सबंधी। iii. किसी अधिष्ठान के द्वारा जनता को लाईट एवं जल की आर्पूर्ति संबंधी शिकायत। iv. सार्वजनिक सफाई अथवा स्वच्छता की प्रणाली की शिकायत। v. औषधालय या चिकित्सालय मे सेवा की शिकायत। vi. बीमा सेवा (तृतीय पक्षकार मामलो को छोडकर)।

उपरोक्त मे से किसी भी प्रकार की शिकायत का आवेदन स्थायी लोक अदालत में देकर अतिशीघ्र इस समस्या का उपचार कराया जा सकता है।

नेशनल लोक अदालतः लोक अदालत के बढते महत्व एवं लोक प्रियता ने अब देश भर में प्रतिवर्ष समय-समय पर नेशनल लोक अदालतो का भी गठन किया जाता है । न्याय मूर्ति रंजन गोगाई न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालन अध्यक्ष राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार विगत वर्षो की तरह वर्ष 2018 में भी प्रत्येक दो माह में एक बार पूरे देश भर में सभी न्यायालयो में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसके तहत वर्ष 2018 में देश भर में पहली नेशलन लोक अदालत 10 फरवरी को, दूसरी 14 अप्रेल को, तीसरी 14 जुलाई को चौथी 8 सितम्बर को, नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया एवं पांचवी नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश भर में 8 दिसंबर 2018 को किया गया है । राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उक्त लोक अदालत में केटेगरी अनुसार प्रीलिटिगेशन मुकदमा एवं पूर्व मे न्यायालयो में लंबिंत राजीनामा योग्य प्रकरणो को निराकरण हेतु रखा गया।

धमतरी जिले में आयोजन दिनांक 10.02.2018 (वर्ष 2018 की प्रथम नेशनल लोक अदालत): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय धमतरी,व्यवहार न्यायालय कुरूद एवं नगरी सिहावा में 10.02.2018 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत मे प्री.लिटिगेशन के 2538 मे से 467 प्रकरणो का निराकरण करते हुए 7173262 रूपये का सेटलमेंट हुआ। 725 लंबित प्रकरणो मे से 119 प्रकरणो का निराकरण कर 16860373 रूपये का समझौता किया गया इस तरह कुल 3263 प्रकरणो मे से 586 प्रकरणो का निराकरण करते हुए 24033635 रूपये का समझौता आपसी राजीनामा के आधार पर किया गया।

धमतरी जिले में आयोजन दिनांक 22.04.2018 (वर्ष 2018 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत): राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा व्यवहार न्यायालय सिहावा नगरी एवं कुरूद तथा जिला न्यायालय धमतरी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में बैंक रिकवरी, विधुत प्रकरण

(मुकदमा पूर्व वाद) एवं न्यायालयों से लंबिंत शमनीय अपराध, 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम ,मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं व्यवहारवाद से सबंधित राजीनामा योग्य प्रकरध्णो का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया।

तालिका-2: धमतरी जिले में आयोजन दिनांक 10.02.2018 (वर्ष 2018 की प्रथम नेशनल लोक अदालत)।

प्रकरणो का विवरण	लंबित प्रकरण	निराकृत प्रकरण	समझौते की राशि
बैंक रिकवरी के प्री-लिटिगेशन प्रकरण	2019	91	3074631/-
विधुत के प्री-लिटिगेशन प्रकरण	500	376	40,98631/-
आपराधिक शमनीय मामले	398	59	-
विधुत	7	6	174373/-
मोटर दुर्घटना दावा	54	19	6480000/-
परक्राम्य लिखित अधिनियम (धारा138)	153	22	6631000/-
सिविल	100	10	3500000/-
अन्य	-	01	75000/-

तालिका-3: धमतरी जिले में आयोजन दिनांक 22.04.2018 (वर्ष 2018 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत)।

प्रकरणों का विवरण	लंबित प्रकरण	निराकृत प्रकरण	समझौते की राशि
बैंक रिकवरी के मामले	2009	21	660811/-
विधुत देयक	300	249	1832977/-
न्यायलयो में लंबित शमनीय अपराध से संबंधित	284	56	-
विधुत चोरी से सबंधित	8	6	130380/-
मोटर दुर्घटना	82	4	1685000/-
धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम	147	14	1398000/-
व्यवहार वाद से सबंधित	38	9	-
राजस्व	1256	1256	295800/-

जिला धमतरी मे नेशनल लोक अदालत मे निपटाये गये प्रकरणो का विवरण: आयोजन दिनांक 14.07.2018 (वर्ष 2018 की तृतीय नेशनल लोक अदालत): जिला न्यायालय धमतरी में पहली बार वाडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिज श्री दीपक गुप्ता ने नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया जिसमें लंबित एवं प्री-लिटिगेशन राजीनामा योग्य 477 प्रकरणो का निराकरण एवं 1196553 रूपये की समझौता किया गया । उक्त नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय धमतरी सहित नगरी एवं कुरूद मे आयोजित नेशनल लोक अदालत के लिए पूरे जिले में 08 खण्ड पीठ का गठन किया गया।

तालिका-4: नेशनल लोक अदालत (14.07.2018) छ.ग. राज्य के धमतरी जिले (धमतरी, कुरूद, सिहावा, नगरी) में निपटाये प्रकरणो की संख्या।

प्रकरणो का विवरण	लंबित प्रकरण	निराकृत प्रकरण	समझौते की राशि
आपराधिक शमनीय	191	63	-
विधुत कंपनी	04	04	91547 रूपये का समझौता
मोटर दुर्घटना	58	02	1229000 रूपये का समझौता
धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम	118	31	6302237 रूपये का समझौता
व्यवहारवाद	54	13	-
अन्य प्रकरण	-	07	-
बैंक रिकवरी के प्री लिटिगेशन	2581	40	733311 रूपये का समझौता
विधुत	376	306	2562142 रूपये का समझौता

धमतरी जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन (8 सितंबर 2018) (वर्ष 2018 की चतुर्थ नेशनल लोक अदालत): वर्ष 2018 मे वर्तमान में सितम्बर में धमतरी जिले मे भी 8 सितंबर 2018 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय धमतरी, व्यवहार न्यायालय कुरूद एवं नगरी मे नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत मे धमतरी जिले के तीनो विधान सभा क्षेत्र (धमतरी,कुरूद,सिहावा-नगरी) में न्यायालयो में लंबित एवं

मुकदमा पूर्व बाद (प्री-लिटिगेशन) राजीनामा योग्य विभिन्न प्रकार के प्रकरणो का निराकरण किया गया। जिला धमतरी मे नेशनल लोक अदालत हेतु पूरे जिले में 8 खंठपीठ का गठन किया गया।

तालिका-5: नेशनल लोक अदालत (08 सितंबर 2018) छत्तीसगढ राज्य के धमतरी जिले में निपटाये गये प्रकरणो की स्थिति।

प्रकरणो का विवरण	लंबित प्रकरण	निराकृत प्रकरण	आपसी सुलह से राजीनामा के आधार पर समझौता किया गया
आपराधिकसमनीय प्रकरण	156	55	-
मोटर दुर्घटना	56	10	2830000/-
धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण	97	47	61,64,500/-
व्यवहारवाद	52	5	-
अन्य	-	8	-
बैंक रिकवरी के प्री-लिटिगेशन	2613	17	11,61,158/-
विधुत	400	286	2206047/-

उक्त नेशनल लोक अदालत मे 1.26 करोड रूपये की वसूली की गई

धमतरी जिले में आयोजन दिनांक 08.12.2018 (वर्ष् 2018 की पांचवी नेशनल लोक अदालत): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय धमतरी, व्यवहार न्यायालय कुरूद एवं व्यवहार न्यायालय नगरी में 08.12.2018 को वर्ष 2018 की पांचवी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें आपसी राजनीनामें से सैकडों लंबित एवं प्रीलिटिजेशन प्रकणों का निराकरण सुलह एवं समझौते से किया गया। कुल 468 प्रीलिटेशन एवं 145 न्यायालयों में लंबित प्रकरण निराक़त हुए तथा 16211967 रूपये का अवार्ड पारित हुआ।

तालिका-6: धमतरी जिले में आयोजन दिनांक 08.12.2018 (वर्ष् 2018 की पांचवी नेशनल लोक अदालत)।

प्रकरणो का विवरण	लंबित प्रकरण	निराकृत प्रकरण	आपसी सुलह से राजीनामा के आधार पर समझौता किया गया की राशि
बैंक रिकवरी के प्रीलिटिगेाश्न प्रकरण	3187	75	1744874/-
विधुत के प्रीलिटेगेश प्रकरण	671	352	2794453/-
जलकर प्रकरण	195	32	128850/-
अन्य प्रीलिटिगेशन प्रकरण	0	174	-
न्यायालय में लंबित दाडित प्रकरण	238	73	-
लंबित विधुत प्रकरण	23	2	22884/-
परकाम्य लिखित अधिनियम प्रकरण	123	37	7465186/-
वैवाहिक विवाद प्रकरण	14	5	-
व्यवहारवाद प्रकरण	58	5	-

लोक अदालत का महत्व

निम्नलिखित कारणो से लोक अदालत की उपयोगिता निस्तर बढते जा रही है।

समय, धन एवं श्रम की बचतः लोक अदालत की प्रक्रिया न्यायालय की लम्बी प्रक्रिया की तुलना में बहुत सरल है जिसमे पक्षकारो को त्वरित समाधान होने के कारण समय, धन एवं श्रम की बचत होती है।

आपसी सदभावः लोक अदालत में आपसी राजनामे एवं सुलह के आधार पर विवादो के समाधान होने के कारण पक्षकारो के मध्य आपसी सदभाव उत्पन्न होता है एवं मनमुटाव एवं शत्रुता की भावना समाप्त होती है।

एक ही स्थान पर निर्णयनः लोक अदालत मे विभिन्न न्यायालयो में लंबित वादो का एक ही स्थान पर निर्णयन हो जाना भी इसका बहुत बडा. लाभ है।

निःशुल्क प्रतिलिपिया पक्षकारो को प्रदानः लोक अदालत द्वारा पारित आदेश / अवार्ड की निःशुल्क सत्य प्रतिलिपिया पक्षकारो को तुरन्त प्रदान कर दी जाती है।

अपील का प्रावधान नहीः लोक अदालत का आदेश/अवार्ड अंतिम होता है जिसके विरूध्द कोई अपील नही होती जिसके कारण भी इसकी उपयोगिता बढती जा रही है।

त्वरित निर्णयः लोक अदालत मे त्वरित निर्णय होने से भी इसकी उपयोगिता निरन्तर बढता जा रही है।

विवाद की समाप्तिः लोक अदालत मे आपसी राजीनामा के आधार पर विवादो की समाधान होने के कारण पक्षकरो के मध्य विवाद सदैव के लिए समाप्त हो जाता है।

लोक अदालत की सीमाए/ कमिया/आलोचना

यधपि आज लोक अदालत अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं वर्तमान परिपेक्ष्य में बहुत ही उपयोगी है परन्तु फिर भी इनकी कुछ बिन्दुओ पर आलोचना की जाती है जो इस प्रकार हैः

सामान्य व्यक्तियो से सबंध नहीः लोक अदालत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि लोक अदालत पध्दति का सबंध लोक से नही है वास्तव में राज्य एवं न्यायालय ने एक प्रकार से समझौता वादी प्रक्रिया को लोक अदालत की संज्ञा दे दी है जिनकी प्रक्रिया राज्य के न्यायधीशो द्वारा ही सम्पन्न होती है जिसमें सामान्य व्यक्ति का इससे कोई संबंध नही होता।

भिन्न स्वरूप'ः कहा जाता है कि भारत में जो लोक अदालत न्याय कर रही है वे इंग्लैण्ड में नार्मन विजय से पूर्व की अदालतों से भिन्न है यह अदालते पंचायत भी नहीं है वर्तमान लोक अदालत उनसे बिल्कुल भिन्न है।

मुकदमों का जल्दबाजी में निपटाराः लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य त्वरित विवादों का निपटारा करना होता है जल्दबाजी में निपटारा होने से पक्षकारों के साथ सही न्याय नहीं हो पाता।

दीवानी एवं आपराधिक कानून को महत्व न दिया जानाः इनकी आलोचना में यह भी कहा जाता है कि लोक अदालतों में अपराध प्रक्रिया सहिता एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता को विशेष महत्व नहीं दिया जाता।

अपील न हो पानाः लोक अदालत के निर्णय के विरूद्ध अपील न हो पाना भी इनकी आलोचना का कारण है अपील, निर्देशन एवं पुर्नविलोकन से संबंधित विधि का कोई विशेष योगदान नहीं होता।

राज्य वाद कारियों की विवशता का परिणामः वर्तमान लोक अदालत पध्दति को राज्य वादकारियों की विवशता का परिणाम कहा जाने लगा है।

विवाद को समाप्त करने की प्रक्रियाः कहा जाता है कि लोक अदालतों में मुकदमों का शीघ्रता से निपटारा करने पर पर ही ध्यान दिया जाता है भले ही पक्षकार को सही न्याय मिले या न मिले, लोक अदालत को न्याय देने वाली संस्था न होकर ऐसी संस्था है जो किसी विवाद को परिणति पर जाने से ही समाप्त कर देती है।

पक्ष रखने का पूर्ण अवसर न मिल पानाः लोक अदालत पध्दति में पक्षकारों को पूर्ण रूप से विवाद हेतु अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिलता क्योंकि लोक अदालत पध्दति में राज्य का उद्देश्य संबंधित पक्षकारों को न्याय दिलवाना न होकर बढते हुए विवादों के भार को कम करना है।

सुझाव

अधिकार क्षेत्र में वृध्दिः लोक अदालतों के क्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र में वृध्दि किया जाना चाहिए एवं उनकी मामलों को निपटाने संबंधी अधिकारिता में वृध्दि करना जरूरी है तभी समाज एवं राज्य का हित हो सकेगा एवं संसद द्वारा भी इनके अधिकार क्षेत्र में वृध्दि करना जरूरी है।

लोक अदालतों द्वारा ही निस्तारण की व्यवस्थाः अपराध में ऐसे विवाद जिनमें अपराध होने पर आर्थिक दण्ड मिलना अनिवार्य रूप से निस्तारण हेतु लोक अदालत में ही भेजने की व्यवस्था कर दी जाए तो अपराध जगत में सामाजिक सुधार संभव हो सकेगा।

व्यापक प्रचार-प्रसारः लोक अदालत को पध्दति को व्यवहारिक एवं महत्वपूर्ण बनाने हेतु अत्यंत आवश्यक यह है कि लोक अदालतों का समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए ताकि देश के प्रत्येक व्यक्ति इनकी प्रक्रिया एवं इनके महत्व की जानकारी हो सके।

जनसामान्य में जागरूकताः लोक अदालत के प्रति आज भी जनता अनभिज्ञ है अतः आवश्यकता इस बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को लोक अदालत के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

संगोष्ठी के माध्यम से जन सामान्य में जागरूकताः भारत की जनता आज भी अदालत एवं लोक अदालत के अंतर को नहीं जान पाई है अतः लोक अदालत के महत्व एवं प्रक्रिया को जन साधारण को समझाने हेतु समय-समय पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए एवं इसके माध्यम से आम जनता का लोक अदालत संबंधी विस्तृत ज्ञान एवं जानकारी दी जानी चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा प्रयत्नः राज्य सरकार को लोक अदालतों के प्रचार-प्रसार, विस्तार एवं इनके संबंधित शिक्षा प्रदान करने हेतु अपना एक स्वतंत्र बजट रखना चाहिए एवं लोक अदालत के प्रति व्यापक योजना एवं प्रबंध किया जाना जरूरी है।

जनपद के अधिवक्ताओं की भूमिकाः प्रत्येक जनपद के महत्वपूर्ण अधिवक्ताओं को लोक अदालत से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी होने के साथ-साथ व्यवहारिक दृष्टि से वादकारी एवं न्यायालय के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी भी है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

उच्च न्यायालय/ बार काउन्सिल की भूमिकाः प्रत्येक राज्य की उच्च न्यायालय को लोक अदालतों के गणन हेतु अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए साथ ही बार काउन्सिल को भी अग्रणी कदम उठाना होगा।

वादकारियों का सहयोगः वादकारियों को जिन्हें लोक अदालत से लाभ होगा उन्हें इनका व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए एवं अन्य वादकारियों को भी लोक अदालत के महत्व को समझाना चाहिए।

जन समुदाय का सहयोगः देश के प्रत्येक नागरिक को लोक अदालत के महत्व, अनकी प्रक्रिया एवं कार्य प्रणाली का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए साथ ही उन्हें अन्य लोगों को भी इनकी कार्यप्रणाली का ज्ञान कराना जरूरी है जब प्रत्येक लोगों को इनकी पूर्ण जानकारी होगी तभी इनकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगना बंद हो सकेगा।

पक्षकारों की अनिवार्य बैठकेः लोक अदालत के आयोजन के पूर्व एक बैठक अवश्य आयोजित की जानी चाहिए ताकि पक्षकारों के मध्य के विवादों को अच्छे से समझा जा सके तथा पक्षकारों को आपसी राजीनामे एवं मित्रतापूर्ण संबंध अपनाकर विवाद को समाप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

निष्कर्ष

वर्तमान परिपेक्ष्य में लोक अदालत की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है न्यायालयों की लंबी प्रक्रिया में विलंब के कारण पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से ही छोटे-मोटे मुकदमों का निपटारा करने में ज्यादा रूचि लेने लगे है। न्यायालय में लंबित विवाद लंबे समय तक चलते रहते है जिसके कारण पक्षकारों में पारिवारिक कटुता बढ़ती जाती है अतः सामाजिक सुगमता की दृष्टि से भी लोक अदालत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य एवं नागरिकों के मध्य विवादों की लंबी श्रृंखला के कारण भी राज्य का बहुमूल्य धन अपव्यय होने लगा है फिर भी दीर्घकालीन मुकदमेबाजी के बाद भी न्यायालय में वाद निरंतर चलता रहता है। इसके विपरीत लोक अदालत में धन एवं समय की बचत होती है जिससे राज्य का धन एवं समय बच जाता है। लोक अदालत एक सीमा तक समाज में हिंसा की वृध्दि को रोकने में सहायक होता है। विलम्ब से 'मिला हुआ न्याय, न्याय नहीं होता न्याय में विलम्ब न तो समाज के हित में है और न ही पक्षकारों के हित में है अतः लोक अदालत के माध्यम शीघ्रता से विवादों का विनिश्चय होना इनकी उपयोगिता को स्वतः साबित करता है। न्यायालय के द्वारा विलंब से न्याय मिलना एक तरह से न्याय नहीं है अतः कुछ कमियां होते हुए भी लोक अदालत आज के युग की मांग है कम गंभीर मामलों को पक्षकार आपसी राजीनामें से शीघ्रता से लोक अदालत से निपटारा कर लेते है राज्यों ने भी लोक अदालत की व्यवस्था करके अपने आर्थिक भार को कम कर लिया है। वर्तमान समय में न्यायालयों पर मुकदमों के दबाव को कम करने हेतु लोक अदालत के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है लोक अदालत की समालोचना या मूल्यांकन करते समय हमे यह जान लेना चाहिए कि समाज में तनाव निरंतर बढ़ते जाने से मुकदमें भी बढ़ते जा रहे है न्यायालय द्वारा सभी मामलों का शीघ्र निर्णय संभव नहीं है अतः इस हेतु लोक अदालत ही उपयोगी है। लोक अदालत पध्दति के अलावा ऐसी कोई अन्य माध्यम नहीं है जिनसे यह आशा की जा सके कि वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की परिकल्पना साकार कर सके। सामाजिक एकता, समरसता, आर्थिक विकास एक सीमा तक लोक अदालत के सफल एवं प्रभावी क्रियाकलापों पर ही निर्भर करते है। आम लोगों की भी यही धारणा बनती जा रही है कि अदालत में न जाना ही बेहतर है क्योंकि इनकी लंबी प्रक्रिया से लोगों का ध्यान उठता जा

रहा है सर्वप्रथम गुजरात में लोक अदालत प्रारंभ की गई थी परन्तु धीरे-धीरे इन पध्दति का विकास संपूर्ण भारत में हो चुका है।

लोक अदालत कतिपय सीमाओं के अंतर्गत कार्य करती है यद्यपि यह सत्य है कि लोक अदालतें न तो तकनीकी अर्थ में अदालतें है और न ही उनका संबंध लोक से है परन्तु यथार्थ से आंखे बंद नहीं की जा सकती। यद्यपि लोक अदालत में हत्या, डकैती एवं अन्य गंभीर अपराधों का विचारण न होना इनकी कमिया दर्शाता है। साथ ही लोक अदालत के निर्णय के विरूध्द पक्षकारो को अपील का प्रावधान भी उपलब्ध नही है। लोक अदालत के प्रचलन के बावजुद भी वादकारियों में उन में मुसीबतों में कोई कमी नहीं आई जो इनकी अनुपस्थिति में आती है। यह सोचने का विषय है अतः यह भी कहा जाने लगा है कि लोक अदालतों में केवल न्यायालय के कार्यभार को कम किया है, सामाजिक तनाव को कम करने में ये पूरी तरह सफल नहीं हो सकी है। संविधान से बाध्यता, रिट जारी करने का अधिकार न होना, नैसर्गिक न्याय के सिध्दांत से बाध्यता आदि सीमाओं में रहकर ही यह कार्य करती है लोक अदालत को अपना निर्णय पक्षकारों के सहमति पर ही पारित करना पड.ता है। अतः कहा जा सकता है कि पक्षकारों का आपसी समझौते में लोक अदालत माध्यम का कार्य करता है।

आलोचनाओं के बावजूद यह सत्य है कि आज लोक अदालत समाज की मांग है परन्तु देखना यह है कि ये भी कही प्रभावहीन न हो जाए एवं सामान्य नागरिक का विश्वास इन पर से उठ न जाए। लोक अदालते व्यवहारिक दृष्टि से निरंतर लोकप्रिय होती जा रही है। इन अदालतों की लोक प्रियता ही इस बात का प्रमाण है कि जन साधारण इस पध्दति को स्वीकार कर रहा है। नेशनल स्तर पर भी ये बहुत लोकप्रिय हो रही है लोक अदालत की सफलता अधिवक्ता, न्यायाधीश, वादकारियों एवं जन सामान्य के सहयोग पर निर्भर है। न्यायालय एवं न्यायाधिकरणों में मुकदमों की तेजी से बढती हुई संख्या, लंबित वादों, विलंब से न्याय, कार्य का अत्यधिक बोझ, के कारण लोगों की आस्था न्यायालय से हटकर लोक अदालत पर बढ. गई है। इसी तरह न्यायालय के निर्णयों के विरूध्द अपील, पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन होने के कारण भी मुकदमेंबाजी निरंतर चलते रहती है इसके विपरीत लोक अदालत का निर्णय अंतिम एवं पक्षकारों पर बंधनकारी होता है जिसके कारण लोक अदालत का महत्व निरंतर बढ.ता जा रहा है। न्यायालय के कार्यबोझ को कम करने के उद्देश्य से ही लोक अदालत प्रणाली का सूत्रपात किया गया जिससे अधिक से अधिक लोक अदालत के द्वारा ही आपसी राजीनामे से सुलझ जाए यही कारण है कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लोक अदालत के गणन का प्रावधान बनाया गया है इनमें अत्यंत शीघ्रता से एवं कम खर्च में आपसी सुलह के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से पक्षकारों के बीच के संबंध भी मधुर हो जाते है। लोक अदालत द्वारा पारित आदेश का साम्य में उतना ही मूल्य है जितना दीवानी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का होता है। लोक अदालत द्वारा पारित आदेश प्रभावशील एवं निष्पादन योग्य है। वर्तमान न्याय व्यवस्था के अपेक्षाकृत खर्चीले एवं विलंबकारी होने के कारण एवं न्यायालय की लंबी प्रक्रिया से न्याय की प्रतीक्षा करते-करते वादी मर जाता है लेकिन वाद लंबित रह जाता है इसी कारण इनके विकल्प के रूप में लोक अदालत अपने शीघ्रतम निर्णय के कारण वर्तमान समय की मांग है। जिस प्रकार खर्चीली न्याय व्यवस्था से निपटने के लिए निशुल्क विधिक सहायता स्कीम का प्रादुर्भाव हुआ उसी प्रकार विलंबकारी न्याय व्यवस्था से निपटने हेतु लोक अदालतों का महत्व निरन्तर बढ.ता जा रहा है। आज लोक अदालते हमारी न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गई है मामलों के त्वरित एवं अल्प व्यय में निस्तारण हेतु ये सार्थक सिध्द हुई है इसका सबसे बडा लाभ पक्षकारों में सौहार्द का भाव उत्पन्न करना रहा है। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निस्तारण में न किसी पक्ष की जीत होती है न ही किसी की हार अतः तभी तो यह कहा जाने लगा है कि ''लोक अदालत का सार, न जीत न हार''।

यह कहना गलत नहीं है कि आज की कुष्ठित न्याय व्यवस्था में लोक अदालते सफल एवं सार्थक सिध्द हो रही है। न्यायिक अधिकारी, समाज सेवी, शिक्षक, महिलाएं सभी इसमें भागीदार बन रहे है। लोक अदालत की बढ़ती सफलता एवं लोकप्रियता को देखते हुए इन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (संशोधन 1994) के द्वारा इन्हें विधिक स्वरूप प्रदान कर इनके महत्व को और भी बढ़ा दिया गया एवं वर्तमान में तो 'नेशनल लोक अदालत' के माध्यम से इनका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। कुछ कमियों के बावजूद वर्तमान परिपेक्ष्य में लोक अदालत की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उन कमियों को दूर कर लिया जाए जो कि इनकी लोकप्रियता एवं उपयोगिता में बाधक सिध्द हो रहे है साथ ही राज्य, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण, प्राधिकरण के साथ-साथ देश की आम जनता का भी पूर्ण सहयोग एवं विश्वास लोक अदालत के प्रति उत्पन्न करना होगा एवं विभिन्न माध्यमों से इनका व्यापक प्रचार-प्रसार कर देश के प्रत्येक व्यक्ति को इनकी कार्य प्रणाली उपयोगिता एवं विश्वसनीयता के प्रति जागरूकता लानी

होगी तभी लोक अदालतों की सच्ची सफलता मानी जाएगी एवं जिस दिन लोगों का विश्वास लोक अदालत के प्रति बढ़ जाएगा तभी न्यायालय में भी लंबित वादों की संख्या में भी कमी हो सकेगी। आज लोक अदालतों की उपयोगिता का प्रमाण यह है कि आज न केवल न्यायालयों में वरन विभिन्न विभागों में भी मामलों का निस्तारण के लिए इनका आयोजन किया जाता है।

संदर्भ

1. ए.आई. आर. (2003) केरल 164

2. ए.आई. आर. (2000) म.प्र. 301

3. ए.आई. आर. (2003) कर्नाटक 242

4. ए.आई. आर. (2004) एस.सी. डब्ल्यू 4527

5. ए.आई. आर. (2012) एस.सी. 3246

6. ए.आई. आर. (2012) एस.सी. 3246

7. राय कैलाश (2014). जनहित वकालत विधिक सहायता एवं समरूपी विधिक (अर्धविधिक) सेवाएं, षष्टम संस्करण (पुन-मुद्रित) 2014, इलाहाबाद, पेज संख्या 236-240 ISBN:978-93-80289-00-7

8. बाबेल बसन्ती लाल (2017). विधि एवं सामाजिक परिवर्तन, द्वितीय संस्करण (पुनः मुद्रित), इलाहाबाद, पेज संख्या 253-260 ISBN:978-93-82676-16-4

9. परांजपे ना.वि. (2017). अपराधशास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं प्रपीडन शास्त्र, अष्ट्रम शास्त्र संस्करण (पुनः मुद्रित), इलाहाबाद, पेज संख्या 414,415 ISBN:978-93-84961-08-4

10. बाबेल बसन्तीलाल (2016). भारत का सविंधान, चौदहवा संस्करण, इलाहाबाद, पेज संख्या 271 ISBN: 978-93-84961-43-5

11. विधि सार (2012). जिलाविधिक सेवा प्रधिकरण, धमतरी, संस्करण 2012, पेज संख्या 53

12. सरल कानूनी शिक्षा (2015). छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, संस्करण 2015 पेज संख्या 113,114

13. न्याय संगी (2014), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदा बाजार, संस्करण 2014 पेज संख्या 34,35

14. हरिभूमि (2018, फरवरी 11) धमतरी पेज संख्या 11

15. नवभारत (2018, फरवरी 11) धमतरी पेज संख्या 04

16. पत्रिका (2018, फरवरी 11) धमतरी पेज संख्या 18

17. दैनिक भास्कर (2018, फरवरी 11) धमतरी पेज संख्या 20

18. हरिभूमि (2018, अप्रैल 23) पेज संख्या 11

19. नवभारत (2018, अप्रैल 23) पेज संख्या 04

20. नई दुनिया (2018, अप्रैल 23) पेज संख्या 13

21. पत्रिका (2018, अप्रैल 23) पेज संख्या 10

22. दैनिक भास्कर (2018, अप्रैल 23) पेज संख्या 18

23. दैनिक भास्कर (2018, जुलाई 15) पेज संख्या 19

24. पत्रिका (2018, जुलाई 15) पेज संख्या 01

25. नवभारत (2018, जुलाई 15) पेज संख्या 03

26. हरिभूमि (2018, जुलाई 15) पेज संख्या 04

27. पत्रिका (2018, सितम्बर 9) पेज संख्या 02

28. नवभारत (2018, सितम्बर 9) पेज संख्या 03

29. नई दुनिया (2018, सितम्बर 9) पेज संख्या 03

30. हरिभूमि (2018, सितम्बर 9) पेज संख्या 04

31. नवभारत (2018, दिसम्बर 9) पेज संख्या 02